भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2965

उत्तर सोमवार, दिनांक 07 अगस्त, 2023, श्रावण 16, 1945 (शक) को दिया गया

धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत माल और सेवा कर नेटवर्क

2965. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या जीएसटीएन को पीएमएलए के दायरे में लाया गया है, यदि हां, तो क्या यह निर्णय 50वीं बैठक में बिना किसी चर्चा के लिया गया था और कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने इस कदम का विरोध किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने व्यापार और सेवा प्रदाताओं पर इस निर्णय के प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या नया कानून व्यापारिक समुदाय पर कहर बरपाएगा क्योंकि इसका उपयोग उन व्यापार और उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों को धमकाने के लिए किया जा सकता है जो सरकार की लाइन पर नहीं चलते हैं या विपक्ष से संबद्ध हैं या स्वतंत्र आवाज रखते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या इस कदम से कर-आतंकवाद का इस्तेमाल करके इसकी प्रथा शुरू करने, इसका संवर्धन और प्रचार करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जीएसटीएन के लक्ष्य और प्रयोजन हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य पणधारकों को माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए सामान्य और साझा की गई आईटी संरचना और सेवाएं उपलब्ध की जाएं।

धन शोधन निवारण अधिनियम का लक्ष्य और उद्देश्य धन शोधन को रोकना तथा धनशोधन से प्राप्त या उसमें शामिल सम्पत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है।

(ख): जीएसटीएन को पीएमएलए के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सरकार ने हाल ही में पीएमएलए की धारा 66 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जो निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को जीएसटीएन को नकद लेनदेन रिपोर्ट, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न रिपोर्ट भेजने में सक्षम बनाती है, ताकि उन्हें जीएसटी अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सके, जहां ऐसी रिपोर्ट जीएसटी अपवंचन के लिए प्रासंगिक पाई जाती हैं।

(ग) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****